

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2016/3254

दिनांक : 17-06-2016

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26 मई, 2016 के पद क्रमांक (01) के निर्णयानुसार अम्बाह पी.जी. कॉलेज, अम्बाह, मुरैना को सत्र 2016-17 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. (आ. पा., अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, ज्योग्राफी, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान), एम.ए. (हिन्दी, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र), बी.एस-सी. (आ.पा., कैमिस्ट्री, जुलॉजी, बॉटनी, अतिरिक्त विषय- मैथ, फिजीक्स), एम.एस-सी. (कैमिस्ट्री) पाठ्यक्रम की स्थाई सम्बद्धता है इसके अतिरिक्त बी.कॉम, बी.एस-सी. (माइक्रोबायोलॉजी, कम्प्यूटर साइंस, इलेक्ट्रोनिक्स), एम.एस-सी. (जुलॉजी, मैथ), पी. जी.डी.सी.ए. एवं बी.सी.ए. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं। आपके महाविद्यालय को पत्र क्रमांक एफ/सम्बद्धता/2015/2533, दिनांक 26.08.2015 प्रदान किया गया है उसे उपरोक्तानुसार पढा जावे।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. परिनियम 28(17) के अन्तर्गत स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।
2. प्रयोगशालाओं में पाठ्यक्रमानुसार सुसज्जित किया जाए।

नोट:- समस्त कमियों को दूर करने एवं अनुपालन रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2016

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, अम्बाह पी.जी. कॉलेज, अम्बाह, मुरैना।
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

डायरेक्टर,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्